कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 438/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.11.2026

◆ थाना जीयनपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 01 अभियुक्त गोली लगने से घायल/गिरफ्तार।

◆ मुठभेड़ के दौरान कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस बरामद।

◆ प्रतिबंधित पशुओं की चोरी कर अवैध कटान करने वाले अभियुक्तों के कब्जे से वध हेतु ले जाए जा रहे 02 प्रतिबंधित पशु एवं 01 बछड़ा सकुशल जीवित बरामद।

◆ अवैध कटान में प्रयुक्त अर्टिगा वाहन, मोटरसाइकिल तथा चापड़, चाकू, लकड़ी के ठीहे, तराजू आदि उपकरण बरामद।

घटना/पुलिस मुठभेड़ का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी श्री देशराज सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 20.11.2026 को प्रातः लगभग 04:20 बजे थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्त की जा रही थी।

इसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जोलहापुर के पास कुछ व्यक्ति प्रतिबंधित पशुओं को चोरी से पकड़कर उनका वध करने तथा मांस की बिक्री/परिवहन करने की फिराक में हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष जीयनपुर मय पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस बल से घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी दिए जाने के बावजूद बदमाशों ने पुनः फायरिंग का प्रयास किया। जवाबी कार्यवाही में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त सालिम के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त सहित कुल 04 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रतिबंधित पशुओं की चोरी कर उनका अवैध कटान करते थे। आज भी अभियुक्तों द्वारा 02 प्रतिबंधित पशुओं एवं 01 बछड़े को वध हेतु ले जाया जा रहा था, जिन्हें पुलिस टीम की तत्परता से सकुशल जीवित बरामद कर लिया गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. सालिम पुत्र इसरार, निवासी अशरफपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 24 वर्ष (घायल)।
2. नौशाद पुत्र खुर्शीद, निवासी चांदपार, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 53 वर्ष।
3. सोहराब पुत्र ईसराइल, निवासी अशरफपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष।
4. अदनान पुत्र खालिद, निवासी अशरफपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 18 वर्ष।

बरामदगी का विवरण–

1. 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर।
2. 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।
3. 02 प्रतिबंधित पशु (गाय) एवं 01 बछड़ा (सकुशल जीवित)।
4. 01 अर्टिगा वाहन संख्या UP80DP0117।
5. 01 मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर संख्या UP50DP8806।
6. पशु कटान में प्रयुक्त चापड़, चाकू, लकड़ी के ठीहे, तराजू आदि उपकरण।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे अवारा प्रतिबंधित पशुओं को चिन्हित कर चोरी से पकड़ते थे तथा उन्हें सुनसान स्थानों पर ले जाकर उनका वध कर मांस की बिक्री/उपभोग करते थे। पुलिस की निगरानी से बचने के लिए वे बार-बार स्थान बदलते थे तथा पशुओं के अवशेषों को नदी-नालों अथवा सिवान में फेंक देते थे या जमीन में गाड़ देते थे।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
अभियुक्त नौशाद का आपराधिक इतिहास निम्नवत है—
1. मु0अ0सं0 198/2019 धारा 147/352/504/506 भादंवि, थाना जीयनपुर।
2. मु0अ0सं0 498/2011 धारा 279/337/338 भादंवि, थाना गम्भीरपुर।
3. मु0अ0सं0 341/2013 धारा 380/457 भादंवि, थाना जीयनपुर।

गिरफ्तारी एवं मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम–
प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह, उ0नि0 संतोष सिंह, उ0नि0 अमित कुमार वर्मा, उ0नि0 हरिश कुमार शुक्ला, उ0नि0 अवधनाथ यादव, का0 अभय प्रताप सिंह, का0 प्रशान्त सिंह, का0 राजकुमार, का0 प्रद्युम्न, का0 देवेन्द्र चौहान, का0 प्रदीप गुप्ता एवं का0 संजय वर्मा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।